

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, गंगापुर परिसर
वाराणसी।

छात्रसंघ निर्वाचन 2016-17

आवश्यक निर्देश एवं मत देने की प्रक्रिया

1. विश्वविद्यालय के कुलानुशासक द्वारा निर्गत बार कोडेड परिचय पत्र का धारक ही मतदान का अधिकारी होगा। चालान/फीस रसीद साथ में रखना अनिवार्य है।
2. मतदाता को मतदान केन्द्र पर मोबाईल, पेन व पेन्सिल, कैमरा आदि लाना वर्जित है।
3. मतदाता को किन्हीं दो प्रत्याशियों के नाम के सामने बने गोले को, मतदान अधिकारी द्वारा प्रदत्त काले बाल पेन से ही पूरी तरह काला करना है। दो से अधिक प्रत्याशियों के नाम के सामने बने गोले को काला करने पर मत स्वतः निरस्त हो जायेंगा
4. मतपत्र पर नोटा(उपरोक्त में से कोई नहीं) का भी विकल्प उपलब्ध है।

भवदीय
शम्भू उपाध्याय
प्रो०(शम्भू उपाध्याय)
चुनाव अधिकारी